RAJ LAW Publication

बी. के. सिन्हा
ए. एक्का

छत्तीसगढ़

ऑफिस मैन्युअल

हैण्डबुक

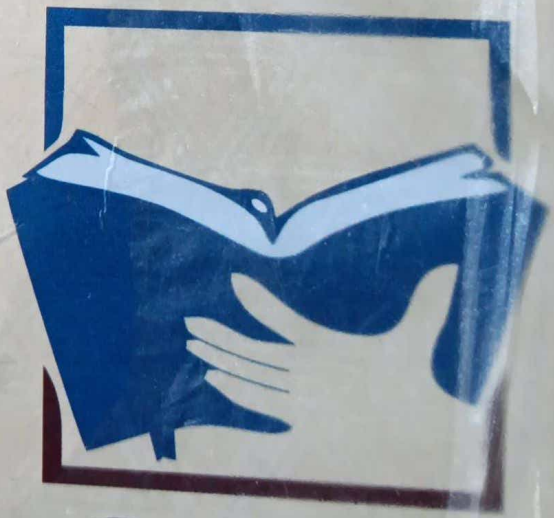

2022

पंचम संस्करण

राज लॉ पब्लिकेशन, रायपुर

अध्याय

23

अन्य प्रकार के भत्ते

(Other Allowances)

1. गृह भाड़ा भत्ता (House Rent Allowance)—

(1) गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने की पात्रता—राज्य शासन के ऐसे कर्मचारी गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने हेतु पात्र होते हैं, जो राज्य शासन के अधीन और उसके नियंत्रण में कार्य करते हैं। निम्नानुसार शासकीय सेवक इसे प्राप्त करने हेतु पात्र होते हैं—

(क) ऐसे शासकीय सेवक जो किराए के मकान में रहते हैं या स्वयं के या पत्नी के या पुत्र/पुत्री के मकान में रहते हैं।

(ख) ऐसे शासकीय सेवक, जिनकी सेवाएं स्थाई या अस्थाई हो, गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

(2) गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने हेतु अपात्र—निम्नानुसार शासकीय सेवक गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगे—

(क) वे, जिन्हें वर्तमान बाजार दर पर वेतन/परिश्रमिक प्राप्त होता है।

(ख) ऐसे कर्मचारी जिन्हें शासकीय आवास आवंटित हो परन्तु जिनके द्वारा उसे लेने से मनाकर दिया गया हो।

(ग) ऐसे शासकीय सेवक, जिन्हें अनुसूचित परियोजना क्षेत्र में पदस्थ होने के कारण निर्धारित स्वीकृत दर पर मकान किराया भत्ता प्राप्त हो रहा हो।

(घ) ऐसे कर्मचारी जिन्हें आकस्मिक निधि से वेतन भुगतान किया जा रहा हो।

(ङ) ऐसे कर्मचारी, जहाँ उन्हें निःशुल्क मकान प्राप्त हुआ हो या जिन्हें मकान के बदले गृह भाड़ा प्राप्त होता है।

(च) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी।

(3) आदेश दिनांक 15-6-1987—1. State Government vide Finance Department Memo No. F.B.11/1/NI/2/87/IV, dated the 16th April, 1987 have issued orders for grant of House Rent Allowance in respect of Government servants who reside in town having a population of 1,00,000 or more less than 50,000.

2. Government upon the decision taken by the State Government relating to the revision of Pay Scales, the State Government are now further pleased to grant House Rent Allowance at revised rates to Government employees residing in towns or cities having population of 50,000 and above. Description of localities where this allowance is payable and the rates at which the allowance will be admissible are given in Annexure-I. The allowance will be paid to the employees under the Rule making control of the State Government, subject to

नियमानुसार 10,000 से अधिक संख्या वाले नगरपालिका नगरों की परीधि के 2 किलोमीटर की दूरी पर निवास करने वाले शासकीय कर्मचारियों को यह परियोजना भत्ता ऐसे परियोजनाओं के लिए देय नहीं है जिनकी कुल लागत पचास लाख से कम है।

7. रोकड़िया को नगद भत्ता—

वित्त विभाग द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक ए-1/87/नि-2/चार, दिनांक 28-5-1987 के अनुसार औसत मासिक वितरण नगद राशि पर भत्ते की दर निम्नानुसार है—

औसत मासिक वितरित नगद राशि	भत्ते दर
रू. 10,000 तक	रू. 20 प्रतिमाह
रू. 10,001 से 25,000 तक	रू. 30 प्रतिमाह
रू. 25,001 से 50,000 तक	रू. 40 प्रतिमाह
रू. 50,001 से अधिक	रू. 50 प्रतिमाह

8. वर्दी एवं धुलाई भत्ता—

(1) छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-88/2011/गृह-दो, दिनांक 13 फरवरी 2015 के ज्ञापन अनुसार आर्हता रखने वाले कर्मचारियों को वर्दी धुलाई हेतु भत्ता रू. 75.00 प्रतिमाह भुगतान करने के आदेश प्रसारित किए गए है। यह भत्ता उन्हीं कर्मचारियों को देय होगा, जो नियमित रूप से वर्दी कार्यालय में पहन कर आते हैं।

(2) **वर्दी सिलाई की दर**—छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिये जाने वाले वर्दियों की सिलाई/धुलाई दर को आदेश जारी होने की तिथि अर्थात् दिनांक 13-2-2015 से संशोधित कर लागू किया—

क्रमांक	वर्दी का नाम	वृद्धि पश्चात् पुनरीक्षित दर (प्रति नग)
1.	बटन अप कोट	रु. 250/-
2.	ट्राउजर	रु. 135/-
3.	गाँधी टोपी	रु. 40/-
4.	पायजामा	रु. 60/-
5.	बुशर्ट/हाफ कोट	रु. 100/-
6.	गरम ऊनी कोट	रु. 750/-
7.	ब्लाउज/सलुखा	रु. 50/-
8.	पेटीकोट	रु. 30/-

[गृह (पुलिस) विभाग क्र. एफ 3-88/2011/गृह-दो, दिनांक 13-2-2015]

9. पटवारियों को स्टेशनरी भत्ता—

दिनांक 27 मार्च 2012 से पटवारियों को मिलने वाले को स्टेशनरी भत्ते में वृद्धि करते हुए उस रू. 250/- (दो सौ पचार रूपए) प्रतिमाह की दर से स्वीकृत किया गया है।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 88/एफ-2095/12/वित्त/नियम/चार, दिनांक 27-3-2012]

अध्याय 24

ऋण एवं अग्रिम
(Loan and Advances)

1. प्रस्तावना—

राज्य शासन स्तर से पूर्व में दो प्रकार के अग्रिम शासकीय सेवक को दिए जाते थे, जिसमें जो ब्याज रहित अग्रिम होता है, उसे अग्रिम कहते हैं तथा जो ब्याज सहित होता था, उसे ऋण कहते थे। राज्य शासन द्वारा ब्याज सहित ऋण देना वर्ष 2004 से बन्द कर दिया गया है। इसके स्थान पर शासन द्वारा शासकीय सेवकों को बाह्य संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने की नई योजना दिनांक 1-6-2004 से लागू की गई।

2. ब्याज रहित अग्रिम—

राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों को निम्न मदों में ब्याज रहित अग्रिम दिया जाता है। पूर्व में अनाज अग्रिम भी इसी के अधीन दिया जाता था, जिसे वर्तमान में बन्द कर दिया गया है—

(1) स्थानान्तरण पर अग्रिम,
(2) स्थानान्तरण/दौरों पर अग्रिम,
(3) त्यौहार अग्रिम,
(4) गृह नगर की यात्रा हेतु अग्रिम,
(5) विदेश प्रशिक्षण पर जाने वाले शासकीय सेवकों को अग्रिम,
(6) चिकित्सा अग्रिम।

स्पष्टीकरण—राज्य शासन द्वारा अनाज अग्रिम वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 331/एफ 1003491/वित्त/नियम/चार/2012, दिनांक 19-10-2012 द्वारा अनाज अग्रिम को समाप्त कर दिया गया।

(1) **स्थानान्तरण पर वेतन/यात्रा अग्रिम**—यह अग्रिम किसी शासकीय सेवक के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण होने की स्थिति में नए गंतव्य पर जाने के लिए दिया जाता है। इस अग्रिम में एक माह का वेतन, शासकीय सेवक एवं उसके आश्रितों का नए गंतव्य पर पहुँचने का वास्तविक किराया तथा समान का परिवहन व्यय सम्मिलित होता है। वेतन अग्रिम की राशि वेतन से तीन समान किश्तों में तथा यात्रा अग्रिम का समायोजन एक मुश्त यात्रा देयक से किया जावेगा। यह अग्रिम कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।

टिप्पणी—(1) आपसी स्थानान्तरों में अग्रिम की पात्रता नहीं होगी।

(2) स्थानान्तर अग्रिम को अंतिम वेतन प्रमाण पत्र पर दर्शाया जाना चाहिए।

(3) अवकाश काल में यदि स्थानान्तर आदेश हुए हो, तब भी शासकीय सेवक को यह अग्रिम देय होगा।

(4) किश्तों का निर्धारण पूर्ण रूपए में किया जाना चाहिए।

(5) शासकीय सेवक, अस्थाई हो या स्थाई, उससे जमानत लेना वांछनीय नहीं होगा।

[नियम 268, छत्तीसगढ़ वित्त संहिता भाग-1]

(2) त्यौहार अग्रिम—राष्ट्रीय एवं अन्य महत्वपूर्ण त्यौहारों पर त्यौहार अग्रिम देने की योजना है, इसके अधीन 15 अगस्त/26 जनवरी, होली, दशहरा, दीपावली, रक्षा बंधन, ईद-उल-फित्तर, ईद-ऊल जुहा, जन्माष्टमी, क्रिसमस-डे आदि त्यौहारों पर शासकीय सेवकों को अग्रिम दिया जाता है। इसमें समस्त तृतीय वर्ग एवं चतुर्थ वर्ग तथा कार्यभारिता/आकस्मिता मद से वेतन पाने वाले कर्मचारी पात्र होते हैं। इसके अधीन निम्न अन्य शर्तें होती है—

(i) अग्रिम की राशि रू. 800/- से अधिक नहीं होगी।

(ii) उस अग्रिम की वसुली वेतन से दस समान किश्तों में की जावेगी।

(iii) कलेण्डर वर्ष में केवल एक बार दिया जावेगा, बशर्ते पिछला अग्रिम बकाया न हो।

(iv) यह अग्रिम कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत होगा।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 331/एफ-1003419/वि/नि/चार, दिनांक 19-10-2012]

(3) गृह नगर की यात्रा भत्ता—इस योजना की मुख्य बातें निम्नानुसार है-

(i) इसके लिए समस्त श्रेणी के शासकीय सेवक पात्र होते हैं।

(ii) दोनों ओर यात्रा पर होने वाले व्यय का 4/5 मात्र अग्रिम रूप में देय।

(iii) जहाँ शासकीय सेवक एवं उसका परिवार पृथक-पृथक यात्रा करना चाहते हैं, वह अग्रिम पृथक-पृथक स्वीकृत किया जा सकता है।

(iv) जहाँ अवकाश अवधि 90 दिन से अधिक है, वहाँ मात्र एक ओर का ही अग्रिम स्वीकृत किया जावेगा।

(v) इस अग्रिम की वसूली एक मुश्त यात्रा देयक से की जावेगी।

(vi) इस अग्रिम को स्वीकृत करने हेतु कार्यालय प्रमुख प्राधिकृत है।

(vii) अगर किसी अस्थाई शासकीय सेवक द्वारा अग्रिम लिया जा रहा है तब किसी स्थाई/शासकीय सेवक की जमानत आवश्यक होगी।

[वित्त विभाग क्र. 1342-सी.आर.-2654-आर-आर.एफ-72, दिनांक 27-11-1972]

(4) विदेश प्रशिक्षण में जाने वाले शासकीय सेवकों को अग्रिम—इस योजना के अधीन मुख्य बातें निम्नानुसार है—

(i) इसके लिए समस्त श्रेणी के शासकीय सेवक पात्र होंगे।

(ii) अग्रिम की राशि विदेश प्रशिक्षण की समयावधि के बराबर महीनों की संख्या के लिए अधिकारी के वेतन तक सीमित रहेगी।

(iii) अग्रिम की वसूली हेतु किश्तों की संख्या इस प्रकार होगी—

(क) तीन माह के विदेश प्रशिक्षण हेतु—तीन

(ख) तीन माह से अधिक, किन्तु बारह माह से अधिक नहीं हेतु—महीनों में प्रशिक्षण अनिवार्यतः।

(iv) 12 माह से अधिक निर्देश प्रशिक्षण—बारह

(v) एक माह के वेतन तक अग्रिम हेतु कार्यालय प्रमुख तथा इससे अधिक के लिए विभाग प्रमुख।

टिप्पणी—इस नियम के प्रयोजनार्थ 22 दिन से अधिक को एक माह तथा 22 दिन से कम को गणना में नहीं लिया जावेगा। [नियम 269, वित्त संहिता भाग-एक]

3. शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थाओं से गृह निर्माण/क्रय, वाहन, कम्प्यूटर अन्य घरेलू उपकरण का क्रय एवं उच्च शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध कराने की योजना—

1. **योजना का नाम**—यह योजना **''शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की योजना''** कहलायेगी।

2. **उद्देश्य**—इस योजना का उद्देश्य शासकीय सेवकों को उनके द्वारा चयनित वित्तीय संस्था से आवासीय प्लाट का क्रय, गृह निर्माण/क्रय, वाहन/कम्प्यूटर एवं अन्य घरेलू उपभोक्ता उपकरणों या बच्चां/स्वयं की उच्च शिक्षा के लिए सरलता से ऋण उपलब्ध कराना है।

3. **प्रारम्भ**—यह योजना दिनांक 1-6-2004 से प्रारम्भ होगी।

4. **विस्तार**—(i) यह योजना निम्नांकित वर्गों को छोड़कर राज्य शासन के समस्त स्थाई/अस्थाई कर्मचारियों पर लागू होगी—

(अ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी;

(ब) दैनिक वेतन पर नियुक्त कर्मचारी;

(स) आकस्मिकता निधि/कार्यभारिता स्थापना के अस्थाई सदस्य;

(द) पुनर्नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी;

(इ) राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारी।

(ii) ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 5 वर्ष की स्थायी/अस्थाई सेवा पूर्ण कर ली हो तथा जिनकी अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्ति हेतु 2 वर्ष से अधिक अवधि शेष है, इस योजना के अंतर्गत ऋण लेने के लिए पात्र होंगे। जो शासकीय कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर है, उन पर भी यह योजना लागू होगी।

5. **ऋण का उद्देश्य**—इस योजना के अंतर्गत शासकीय कर्मचारियों को व्यावसायिक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से निम्नांकित उद्देश्यों हेतु ऋण प्राप्त हो सकेगा—

(1) किसी भी स्थान पर स्वयं के आवास हेतु आवासीय भू-खण्ड क्रय अथवा भवन के क्रय/निर्माण एवं परिवर्तन हेतु;

(2) नवीन/पुराने वाहन के क्रय हेतु;

(3) कम्प्यूटर/टेलीविजन/रेफ्रिजरेटर क्रय हेतु;

(4) राज्य शासन से पूर्व के लिए गए आवासीय प्लाट/भवन निर्माण अग्रिम, वाहन क्रय अग्रिम की राशि के समय पूर्व भुगतान हेतु;

(5) स्वयं तथा अपने बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु;

4. स्व-वाहन सुविधा योजना—

शासन ने मंत्रालय तथा विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों को नवीन वाहन क्रय पर आवंटित करने की बजाय ''स्व-वाहन सुविधा योजना'' लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना अधिसूचना क्र. 327/नियम/वित्त/IV/2001, दिनांक 28 मई, 2001 द्वारा लागू हो गई है। यह योजना इस उद्देश्य से लागू की गई है कि शासकीय वाहनों की संख्या कम की जाये ताकि वाहनों पर हो रहे आवर्ती व्यय को कम किया जा सके।

योजना निम्नानुसार है—

(1) योजना—इस योजना का नाम **''स्ववाहन/सुविधा योजना''** होगा।

(2) यह योजना वैकल्पिक होगी।

(3) पात्रता—(1) छतीसगढ़ शासन के मंत्रालय तथा विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थ निम्न अधिकारी इस योजना से आवृत्त होंगे—

(i) वरिष्ठ वेतनमान अथवा उससे उच्च वेतनमान के अखिल भारतीय सेवा (भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा) के अधिकारी,

(ii) उप सचिव तथा उससे उच्च स्तर के अधिकारी, जिसमें उच्च न्यायालय व विधानसभा के अधिकारी भी शामिल हैं,

(iii) संयुक्त संचालक तथा उससे उच्च स्तर के अधिकारी,

(iv) अधीक्षण यंत्री तथा उससे उच्च स्तर के अधिकारी।

(2) यदि किसी अधिकारी द्वारा एक बार इस योजना का चयन किया जाता है तो पूरे सेवा काल में किसी भी पदस्थापना पर वे इस योजना की शर्तों व नियमों से बाध्य होंगे एवं इस योजना के नियमों के तहत् शासन के किसी भी पद पर रहते हुए राशि की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि का नियमन इस अधिसूचना के पैरा-9 अनुसार किया जाएगा।

5. वाहन अग्रिम—

(1) योजना का विकल्प देने वाले अधिकारी को रुपये 3.00 लाख अथवा वाहन की कीमत, जो भी कम हो, वाहन अग्रिम दिया जायेगा। अग्रिम केवल नवीन वाहन क्रय के लिए दिया जायेगा। वाहन अग्रिम की राशि समय-समय पर वाहनों की बढ़ती कीमतों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा पुनरीक्षित की जा सकेगी।

(2) वाहन अग्रिम पर 11 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देय होगा।

(3) कतिपय मामलों, जहाँ वाहन निर्माता द्वारा यह शर्त लगा दी जाती है कि वाहन की बुकिंग के समय वाहन की सम्पूर्ण कीमत अग्रिम के रूप में डिपाजिट की जाए वहाँ अग्रिम रूप से राशि अधिकृत विक्रेता के पास जमा करने हेतु अग्रिम प्राप्त किया जा सकेगा, परन्तु इस प्रकार प्राप्त किये गये अग्रिम पर यदि कोई ब्याज प्राप्त होता है तो संबंधित अधिकारी को ब्याज की राशि शासन को वापस करनी होगी।

(4) वाहन अग्रिम की वसूली वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार ही इस योजना के अंतर्गत प्राप्त किये गये अग्रिम के मूलधन एवं ब्याज की वापसी अधिकतम 10 वर्ष की समयावधि में की जायेगी।

(5) पात्र अधिकारियों द्वारा शासन के नियमों के अन्तर्गत अन्य किसी भी प्रकार के अग्रिम जैसे—गृह निर्माण, कम्प्यूटर अग्रिम के अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत वाहन अग्रिम प्राप्त किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में जहाँ अधिकारियों द्वारा पूर्व में वाहन अग्रिम प्राप्त किया गया है, इस योजना के अन्तर्गत अग्रिम प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक होगा कि पूर्व में प्राप्त किये गये अग्रिम के विरुद्ध शेष राशि ब्याज सहित एकमुश्त शासकीय कोष में जमा कर दी जाए। परन्तु, यह प्रतिबंध उन मामलों में लागू नहीं होगा जहाँ कार की अग्रिम बुकिंग के लिए डिपाजिट करने हेतु अग्रिम लिया गया है—ऐसे मामलों में वाहन की डिलेवरी प्राप्त करने पर पुराने अग्रिम के विरुद्ध शेष राशि जमा करना आवश्यक होगा।

(6) जिन अधिकारियों द्वारा योजना का विकल्प नहीं दिया जाता है उन्हें स्वमेव शासकीय वाहन की पात्रता नहीं होगी। प्रशासकीय विभाग संबंधित अधिकारी के कार्य के आधार पर इसका निर्धारण करेंगे।

6. ऋण तथा अग्रिम के संबंध में—

वित्त विभाग के संदर्भित पत्र क्रमांक/513/एल-14/2/03/ब-4/चार/2003, दिनांक 10-12-2003 (वित्त निर्देश 61/2003) द्वारा विभागाध्यक्ष कार्यालयों में ऋण तथा अग्रिमों से संबंधित पंजी के संधारण तथा ऋण स्वीकृति आदेश में ऋण की शर्तों का स्पष्ट उल्लेख करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

(2) महालेखाकार के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में ऋण तथा अग्रिमों की स्वीकृति एवं वसूली के संबंध में यह आपत्ति ली गयी है कि ऋण स्वीकृति के प्रकरणों में छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-I के नियम 220 का पालन नहीं किया जा रहा है, अर्थात् ऋण स्वीकृति आदेश में पुनर्भुगतान की शर्तों का उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

(3) अतः सभी विभागों को निर्देशित किया जाता है कि अपने विभागाध्यक्ष कार्यालयों को उक्त संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 61/2003 का पालन सुनिश्चित करने एवं ऋण स्वीकृति आदेश में ऋण की वसूली विलंब से होने की स्थिति में देय दाण्डिक ब्याज, प्रथम किश्त के भुगतान की तिथि तथा स्थगन अवधि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करें।

[वित्त विभाग क्र. 958/03939/संसा./ब-4/चार, दिनांक 16-10-2017]

-०००-

अध्याय

25 शासकीय सेवकों को चिकित्सा सुविधा

(Medical Benefits to Government Servants)

1. प्रस्तावना—

राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ-21-05/2010/नौ/55 दिनांक 14 मार्च 2013 द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्चा) नियम 2013 लागू किया गया है जिसका प्रमुख लक्ष्य शासकीय सेवकों को चिकित्सा सुविधा प्रक्रिया को विनियमित करना है।

2. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013—

[1]**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ 21-05/2010/नौ/55, दिनांक 14 मार्च, 2013**—राज्य शासन के अधीन नियोजित कर्मचारियों की चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार के विनियमन के लिये नियम बनाये गये हैं जो इस प्रकार है :—

1. लागू होना—(1) ये नियम किन पर लागू होंगे :—

(क) राज्य शासन के नियंत्रणाधीन समस्त शासकीय सेवक, जब वे शासकीय कर्तव्य पर हों या प्रतिनियुक्ति पर हों या प्रशिक्षणाधीन हों या छुट्टी पर हों या निलम्बनाधीन हों या छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर पदस्थ हों,

(ख) संविदा के आधार पर नियोजित कर्मचारी,

(ग) प्रशिक्षणाधीन या कर्तव्यस्थ नगर सैनिक,

(घ) आकस्मिकता स्थापना से वेतन पाने वाले पूर्वकालिक कर्मचारी,

(ङ) समस्त विभागों या राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं में मासिक वेतन पर निरंतर नियोजित कार्यभारित स्थापना (वर्क-चार्ज एस्टैब्लिसमेंट) के सदस्य,

(च) **अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ विरुद्ध भारत संघ, ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 1752** के प्रकरण में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए, विधि विभाग द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों/जारी आदेशों/उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए, न्यायिक अधिकारी।

(2) ये किन पर लागू नहीं होंगे :—

(क) सेवानिवृत्त कर्मचारी,

(ख) अंशकालिक कर्मचारी,

(ग) राज्य शासन के अधीन कार्य करने वाले अवैतनिक (मानद) कर्मचारी,

1. छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 3-4-2013, पृष्ठ 267-268(19) पर प्रकाशित। दिनांक 3-4-2013 से प्रयोज्य।

(घ) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी,

(ङ) अखिल भारतीय सेवा के सदस्य।

2. परिभाषाएँ—

(क) "**प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक**" नियम 3(ज) के अंतर्गत यथा परिभाषित चिकित्सा अधिकारी;

(ख) "**आयुष**" आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति;

(ग) "**परिवार**" से अभिप्रेत है:—

(एक) कर्मचारी की पत्नी या उसका पति;

(दो) कर्मचारी के माता-पिता, अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री, जिनमें विधिक रूप से गोद ली गई संतान/संतानें तथा सौतेली संतान/संतानें भी सम्मिलित हैं जो कर्मचारी पर पूर्णत: आश्रित हैं;

(तीन) यदि तलाकशुदा पुत्री (पुत्रियाँ) कर्मचारी पर पूर्णत: आश्रित हों, तो उसे/उन्हें चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रयोजन के लिये उस परिवार में सम्मिलित समझा जाएगा;

(चार) महिला कर्मचारी के माता-पिता जो उस पर पूर्णत: आश्रित हों, महिला कर्मचारी के साथ साधारणत: वर्ष भर निवास करते हों और उसके (महिला कर्मचारी के) सिवाय उनका अन्य कोई सहारा न हो तथा उनकी आय का भी कोई अन्य स्रोत न हो :

परन्तु महिला कर्मचारी से इस संदर्भ में एक लिखित घोषणा-पत्र लिया जाना चाहिये कि उसके माता-पिता उस पर ही पूर्णत: आश्रित हैं तथा उसके साथ निवास करते हैं एवं उनका अन्य कोई आय का स्रोत नहीं है और न ही उनका कोई अन्य सहारा है;

(पाँच) विशेषीकृत उपचार (विशेषीकृत चिकित्सा) के संबंध में, शासकीय सेवक के पेंशनर माता-पिता भी परिवार में सम्मिलित समझे जायेंगे।

(घ) "**चिकित्सालय**" —

(एक) राज्य शासन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित चिकित्सालय;

(दो) राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त कोई अन्य चिकित्सालय;

(तीन) ऐसे निजी चिकित्सालय जिन्हें इन नियमों के अंतर्गत चिकित्सालय के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो।

(ङ) "**चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय**" से अभिप्रेत है शासकीय एलोपैथिक, दंत, आयुष चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय या राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त कोई अन्य चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय, जिन्हें इन नियमों के प्रयोजन के लिये मान्यता प्रदान की गई हो;

4. मानसिक रोगी का उपचार—मानसिक रोग से पीड़ित कर्मचारी, राज्य शासन के किसी भी चिकित्सालय या शासकीय मानसिक चिकित्सालय, यथास्थिति, में भर्ती होने की तारीख से, अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिये नि:शुल्क चिकित्सा उपचार, वास स्थान तथा खुराक के लिए हकदार होगा।

5. उपचार एवं प्रतिपूर्ति—(1) चिकित्सालय का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी रोगियों को ऐसे वार्ड में रख सकेगा जैसा वह ठीक समझे।

(2) कर्मचारी चिकित्सालय में नि:शुल्क उपचार, नि:शुल्क ब्लड ग्रुपिंग एवं ब्लड क्रास-मैचिंग का हकदार होगा, यदि चिकित्सालय में कर्मचारी द्वारा ऐसे उपचार, वास स्थान के लिये अथवा किसी अन्य कारण से राशि का भुगतान किया जाता है, तो उसकी प्रतिपूर्ति उसी सीमा तक की जाएगी जो कि इन नियमों में उपबंधित है।

(3) कर्मचारी प्रथमत:, उपचार, सेवा, कमरे का किराया अथवा कोई अन्य प्रभार (प्रभारों) के लिये देयक (बिल), यदि कोई हो, का भुगतान करेगा और तत्पश्चात् वह इन नियमों के अंतर्गत संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर (काऊंटरसाईन) अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही प्रतिपूर्ति के लिये दावा कर सकेगा।

6. प्रतिपूर्ति की सीमा—शासकीय कर्मचारी चिकित्सा सेवा, उपचार, उपचर्या (नर्सिंग) तथा वास स्थान के प्रयोजन के संबंध में उसके द्वारा किये गये व्यय (व्ययों) की निम्नलिखित सीमा (सीमाओं) तक प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु हकदार होगा:—

(1) बाह्य रोगी की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा यथा विहित औषधियों के क्रय के उपरांत संपूर्ण व्यय, किन्तु—

(एक) ऐसे कर्मचारी, जो राज्य शासन द्वारा यथा विहित चिकित्सा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, वे इन नियमों के अंतर्गत उपगत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे,

(दो) उपरोक्त पैरा (1) के अतिरिक्त, अन्य मामलों के लिए—

स.क्र.	राशि	सक्षम प्राधिकारी	शर्तें
1.	1,500/-	नियंत्रण अधिकारी	3 माह के अंदर की सीमा से एक वित्तीय वर्ष में चार बार
2.	1,501/- से 5,000/- तक	जिलों के लिये—यथास्थिति, सिविल सर्जन/ जिला आयुर्वेद अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय के लिये— अधीक्षक/उप संचालक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	

स.क्र.	राशि	सक्षम प्राधिकारी	शर्तें
3.	5,001/- से 25,000/- तक	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित विषय विशेषज्ञ/जिला आयुर्वेद अधिकारी तथा यथासंभव आयुष विषय विशेषज्ञ	
4.	25,001/- से अधिक	संबंधित पद्धति के संचालनालय में गठित तीन सदस्यी विशेषज्ञों की समिति की अनुशंसा उपरान्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ संचालक आयुष, संचालक चिकित्सा शिक्षा।	

(2) अंत: रोगी की दशा में उपचार पर नियम 8 के अंतर्गत उपबंधित सीमा तक उपगत व्यय;

(3) उपरोक्त उल्लिखित नियम 7(1)(दो) के प्रावधान, उन रोगियों, जो ऐसे रोग से पीड़ित हों, जिसके लिये संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/जिला आयुर्वेद अधिकारी ने विहित प्ररूप में यह प्रमाण-पत्र जारी कर दिया हो कि उस रोग का उपचार लंबे समय तक होगा या लंबे समय तक होने की संभावना है, से संबंधित देयकों (बिलों) की प्रतिपूर्ति के मामले में लागू नहीं होंगे।

टीप—ऐसे प्रमाण-पत्र, प्रथम बार में एक वर्ष से अधिक कालावधि के लिये जारी नहीं किए जायेंगे, किन्तु उनका नवीनीकरण, समय-समय पर ऐसी कालावधि के लिये, जो कि आवश्यक हो, किया जा सकेगा, जो एक समय में एक वर्ष की कालावधि से अधिक की नहीं होगी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/जिला आयुर्वेद अधिकारी, उसके द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्रों की विशिष्टियों के साथ एक-एक रजिस्टर, ऐसे प्ररूप में संधारित करेंगे, जैसा कि शासन द्वारा निर्धारित किया जाए।

(4) ऑक्सीजन देने में उपगत संपूर्ण व्यय;

(5) रुधिराधान के लिए, रक्त खरीद पर उपगत व्यय;

(6) प्रसूति के दौरान, जिसमें प्रसवपूर्व तथा प्रसवोत्तर उपचार और गर्भपात उपचार शामिल है, उपचार करवाने में उपगत संपूर्ण व्यय;

(7) गहन चिकित्सा इकाई (आई.सी.यू.) में होने वाला संपूर्ण व्यय;

(8) चिकित्सालय में कमरे के किराये के संबंध में होने वाला व्यय, जिसमें बिजली या बिजली के पंखे, जहाँ वे चिकित्सालयीन सुविधाओं का सामान्य भाग हों, अर्थात् जहाँ वे वार्ड या कमरे का भाग हों, पर होने वाला व्यय शामिल है, चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों तथा आकस्मिकता स्थापना से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में संपूर्ण और अन्य मामलों में केवल पचास प्रतिशत होगा;

अध्याय

26

यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता

(Travelling and Daily Allowance)

1. दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता—

राज्य शासन छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 4 के अनुसार छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 की वेतन संरचनाओं में यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता की संगणना के लिए वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक दिनांक 5 सितम्बर में स्थापित प्रावधानों को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधन किया जाता है—

श्रेणी का निर्धारण

श्रेणी	मानक
ए	रू. 10,000/- या इससे अधिक ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले तथा एच.ए.जी. वेतनमान पाने वाले समस्त अधिकारी।
बी	रू. 7,600/- या इससे अधिक परन्तु रू. 10,000/- से कम ग्रेड वेतन प्राप्त समस्त अधिकारी।
सी	रू. 4,400/- या इससे अधिक परन्तु रू. 7,600/- से कम ग्रेड वेतन पाने वाले समस्त शासकीय सेवक।
डी	रू. 2,400/- या उससे अधिक परन्तु 4,400/- से कम ग्रेड वेतन पाने वाले समस्त शासकीय सेवक।
ई	रू. 2,400/- से कम ग्रेड पाने वाले शासकीय सेवक।

2. पूरक नियम 20(सी) के अनुसार रेल द्वारा की गई यात्रा हेतु पात्रता निम्नानुसार होगी—

शासकीय सेवक की श्रेणी	राजधानी	शताब्दी	सामान्य
ए	एसी प्रथम श्रेणी	एक्सीक्यूटिव क्लास	रेल की उच्चतम श्रेणी
बी	एसी टू टियर	एसी चेयरकार	रेल की उच्चतम श्रेणी (एसी की प्रथम श्रेणी को छोड़कर)
सी	एसी 3 टीयर	एसी चेयरकार	रेल की उच्चतम श्रेणी (एसी प्रथम श्रेणी को छोड़कर)
डी	—	—	शयनयान श्रेणी (वातानुकूलित नहीं) एसी चेयरकार
ई	—	—	शयनयान श्रेणी (वातानुकूलित नहीं)

3. शासकीय सेवकों द्वारा हवाई यात्रा—

यात्रा भत्ता नियमों के पूरक नियम 21 के अनुसार हवाई यात्रा की पात्रता निम्नानुसार होगी—

(क) एच.ए.जी. वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अन्दर एक्सीक्यूटिव क्लास से यात्रा करेंगे।

(ख) 8700 या इससे अधिक ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अन्दर इकोनोमी क्लास में यात्रा करेंगे।

(ग) 7600 या इससे अधिक किन्तु 8700 से कम ग्रेड वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी केवल दिल्ली यात्रा हेतु इकोनोमी क्लास से यात्रा करेंगे।

4. सड़क मार्ग से लोक वाहन द्वारा यात्रा—

छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता को पूरक नियम 22 के अनुसार सड़क मार्ग से लोक वाहन (Public transport) द्वारा यात्रा की पात्रता निम्नानुसार होगी—

शासकीय सेवक की श्रेणी	पात्रता
ए	शासकीय अधिकारी को वातानुकूलित बस से यात्रा की सुविधा होगी।
बी	शासकीय अधिकारी को वातानुकूलित बस से यात्रा की सुविधा होगी।
सी	शासकीय अधिकारी को वातानुकूलित बस से यात्रा की सुविधा होगी।
डी	शासकीय सेवक को गैर वातानुकूलित डीलक्स बस एवं विडियो कोच से यात्रा की सुविधा होगी।
ई	शासकीय सेवक को गैर वातानुकूलित फास्ट पैसेंजर अथवा सुपर एक्सप्रेस बस से यात्रा की सुविधा होगी।

5. मील भत्तों की दर—

यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 25 के अनुसार मील भत्तों की दरें निम्नानुसार होगी—

शासकीय सेवक की श्रेणी	यात्रा का साधन	दर (प्रति कि.मी.)	रिमार्क
ए एवं बी	स्वयं की कार /टैक्सी(एसी टैक्सी शामिल)	10/- रूपए 14/- रूपए	1. टैक्सी पात्रता तब होगी जब यात्रा वास्तव में टैक्सी से की गई एवं रसीद प्रस्तुत की गई। 2. यदि दोनों स्थान रेल से जुड़ है तब कार या टैक्सी से की गई यात्रा रेल यात्रा की पात्रता की श्रेणी के लिए किराए से सीमित किया जावेगा।

शासकीय सेवक की श्रेणी	यात्रा का साधन	दर (प्रति कि.मी.)	रिमार्क
सी	स्वयं की कार टैक्सी (नान एसी)	10/- रूपए 12/- रूपए	1. टैक्सी की पात्रता तब होगी जब यात्रा वास्तव में टैक्सी से किया गया एवं रसीद प्रस्तुत की गई। 2. यदि दोनों स्थान रेल से जुड़ा है तब कार या टैक्सी से की गई यात्रा रेल यात्रा की पात्रता की श्रेणी के किराया से सीमित किया जावेगा।
समस्त श्रेणी	स्वयं की मोटर साइकिल एवं अन्य साधन	4/- रूपए 1/- रूपए	

6. शासकीय सेवकों के लिए प्रवास दैनिक भत्ता, आवास भत्ता, स्थानीय परिवहन व्यय की स्वीकृति—

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 32 के अनुसार दैनिक भत्ता के स्थान पर नगर की श्रेणी (एक्स, वाई, जेड) के अनुसार दैनिक भत्ता, आवास एवं स्थानीय परिवहन हेतु अलग-अलग दरें निर्धारित की गई है, जो निम्नानुसार है—

शासकीय सेवक की श्रेणी	दैनिक भत्ता नगर की श्रेणी के अनुसार			आवास (प्रतिदिन होटल व्यय)			स्थानीय परिवहन प्रतिदिन		
	एक्स	वाए	जेड	एक्स	वाए	जेड	एक्स	वाए	जेड
ए	500	400	300	7500	2000	1000	1000	500	300
बी	300	250	200	5000	1500	750	800	400	250
सी	200	150	125	2000	750	375	400	250	150
डी	150	100	80	1000	500	250	200	150	100
ई	100	80	60	500	250	125	100	75	50

टीप—1. नगरों का श्रेणीकरण भारत शासन के ज्ञापन क्रमांक 2(13)/2008-E, II(B) दिनांक 29-08-2008 के साथ संलग्न परिशिष्ट (जो इस ज्ञापन के साथ परिशिष्ट के रूप में संलग्न है) के अनुसार होगा।

2. राज्य के अंदर यात्रा हेतु प्रवास स्थान पर शासकीय/अर्द्धशासकीय सर्किट हाऊस/रेस्ट हाऊस/गेस्ट हाऊस इत्यादि में स्थान उपलब्ध होने पर निवास हेतु इसे प्राथमिकता दी जावे।

7. शासकीय सेवक को नया रायपुर में निवास हेतु प्रोत्साहन—

(i) राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों को नया रायपुर में स्थित शासकीय आवासों में निवास हेतु प्रोत्साहन हेतु निर्णय लिया गया है कि किसी शासकीय सेवक को नया रायपुर में शासकीय आवास आबंटित होने पर यदि उसे रायपुर से नया रायपुर घरेलू समान का परिवहन करना पड़ता है तो वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन क्रमांक 45 सी–18029/वित्त/नियम/चार/2011, दिनांक 1–3–2011 की कंडिका 8(अ) में उल्लेखित दरों से छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 81(2) के अंतर्गत देय एक मुश्त अनुदान स्वीकृत किया जावे। स्वयं के मकान या किराए के मकान में घरेलू समान के परिवहन हेतु एक मुश्त अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 319/एफ 2014–04–01327/वि/नि/चार, दिनांक 6–8–2014]

(ii) उक्त परिपत्र में राज्य शासन द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अनुदान की पात्रता शासकीय कर्मचारी द्वारा नया रायपुर में शासकीय आवास का अधिपत्य लेने की तिथि से होगी।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 422/एफ/474–21–00938/वि/नि/चार, दिनांक 16–10–2014]

8. शासकीय सेवकों द्वारा राज्य के बाहर यात्रा हेतु यात्रा भत्ता की पात्रता—

(1) राज्य शासन द्वारा, पूर्व में स्वीकृत यात्रा भत्ता को अपर्याप्त मानते हुए, विचारोपरान्त राज्य के बाहर की यात्रा हेतु आवास (प्रतिदिन होटल व्यय), स्थानीय परिवहन, विशेष विराम भत्ता तथा निजी सामान परिवहन की वर्तमान दरों को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है—

शासकीय सेवक की श्रेणी	आवास (होटल व्यय) प्रतिदिन		स्थानीय परिवहन प्रतिदिन	
	X श्रेणी का शहर	Y/Z श्रेणी का शहर	X श्रेणी का शहर	Y/Z श्रेणी का शहर
ए	9000/–	6000/–	1000/–	600/–
बी	6000/–	4000/–	800/–	500/–
सी	2400/–	2000/–	400/–	250/–
डी	1200/–	1000/–	300/–	200/–
ई	1000/–	800/–	150/–	100/–

टिप्पणी—(1) **विशेष विराम भत्ता**—छत्तीसगढ़ यात्रा नियम के पूरक नियम 55 ए के अंतर्गत राज्य के बाहर की हवाई यात्रा हेतु विशेष विराम भत्ता की पात्रता आधा दैनिक भत्ता के स्थान पर एक दैनिक वेतन भत्ता होगा।

(2) **निजी सामान परिवहन**—राज्य के बाहर स्थानान्तरण के मामले में शासकीय सेवक को निजी सामान परिवहन की पात्रता समान वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्र शासन के कर्मचारी हेतु समय-समय पर लागू दर के अनुरूप होगी।

3. यह आदेश दिनांक 1–10–2016 या इसके पश्चात् की यात्राओं/निजी सामान के परिवहन हेतु लागू होगी। यात्रा भत्ता की शेष दरें एवं शर्तें पूर्ववत होगी।

अध्याय

39

आकस्मिक अवकाश एवं विशेष आकस्मिक अवकाश

(Casual Leave and Special Casual Leave)

तकनीक दृष्टि से ''आकस्मिक अवकाश'' को अवकाश नहीं माना गया है। क्योंकि इस अवकाश के दौरान कर्मचारी कर्त्तव्य पर ही रहता है तथा ड्यूटी पर वेतन प्राप्त करता है।

1. आकस्मिक अवकाश—

(1) एक कैलेन्डर वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश देय है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 2341-3006-1 (iii)/64, दिनांक 11-12-1964]

(2) लिपिक-वर्गीय शासकीय सेवक (आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को छोड़कर) जिन्हें माह के द्वितीय शनिवार को कर्तव्य पर उपस्थित रहना पड़ता है, को एक कैलेन्डर वर्ष में 13 दिन के बजाय 16 दिन का आकस्मिक अवकाश देय है। यह नियम शासकीय मुद्रणालय के तथा अन्य विभागों के उन लिपिक-वर्गीय कर्मचारियों को लागू नहीं है जो कारखाना अधिनियम तथा श्रम कानूनों से शासित होते हैं।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 2378-3125/1 (3)/66, दिनांक 30-11-1966]

(3) सार्वजनिक/सामान्य अवकाश को जो आकस्मिक अवकाश की अवधि के पहले या बाद में पड़े, उन्हें आकस्मिक अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार यदि ये अवकाश आकस्मिक अवकाश के मध्य में आ रहे हैं तो इन्हें आकस्मिक अवकाश के भाग के रूप में नहीं माना जाएगा।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 2942-2068-1 (3)/60, दिनांक 13-12-1960]

(4) फॉरेस्ट स्कूल के प्रशिक्षार्थियों, चिकित्सा अधिकारियों एवं वन शाला में प्रशिक्षण के लिए भेजे गये अधीनस्थ वन सेवा के व्यक्तियों को वर्ष में 19 दिन का आकस्मिक अवकाश देय है, जिसमें से शिविर अवधि समाप्त होने पर विश्रान्तिकाल के रूप में एक समय में 14 दिन तक का अवकाश दिया जा सकता है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 1511-सी-आर-763 (3)/58, दिनांक 15-7-1959]

(5) माह के द्वितीय तथा तृतीय शनिवार को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ19/85/83/4/1, दिनांक 11-5-1983 द्वारा शासकीय कार्यालयों में अवकाश मंजूर है।

(6) लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के केन्द्रीय मूल्यांकन में उपस्थित होने वाले परीक्षकों को अधिकतम 10 दिन के विशेष आकस्मिक अवकाश की पात्रता है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 679/332/1(3)/82, दिनांक 30-11-1982]

(7) **शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक एवं गैर शिक्षक शासकीय सेवकों को आकस्मिक अवकाश की पात्रता हेतु अवधि की गणना**—मध्यप्रदेश शासन, कार्मिक,

प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-39/3/49/88, दिनांक 6-4-88 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उच्च शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा व जनशक्ति नियोजन विभागों के अधीन शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक एवं गैर शिक्षक शासकीय सेवकों के लिये आकस्मिक अवकाश की अवधि कैलेण्डर वर्ष के स्थान पर 1 जुलाई से 30 जून तक मानी जाए।

2. आकस्मिक अवकाश उपभोग की अधिकतम सीमा—

आकस्मिक अवकाश एक समय में आठ से अधिक दिन का मंजूर नहीं किया जा सकता है।

3. स्वीकृति की अन्य शर्तें—

आकस्मिक अवकाश पर्याप्त कारणों पर ही स्वीकार किया जाना चाहिये और पात्रता से अधिक हो जाने पर पात्रतानुसार अन्य प्रकार के नियमित अवकाश में बदल दिया जाना चाहिये। आकस्मिक अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। आकस्मिक अवकाश किसी अन्य नियमित अवकाश के साथ नहीं लिया जा सकता है। आकस्मिक अवकाश अवकाश के साथ अथवा कार्यग्रहण काल के साथ भी नहीं जोड़ा जा सकता है।

4. स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी—

कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थ सभी राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों का आकस्मिक अवकाश स्वीकार करने के लिये सक्षम है। (सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो, क्रमांक-6, कंडिका 4,5 एवं 6) कार्यालय प्रमुखों के आकस्मिक अवकाश उनके वरिष्ठ अधिकारी स्वीकृत करेंगे। कार्यालय प्रमुख अपना यह अधिकार किसी अन्य अधीनस्थ अधिकारी को सौंप सकते हैं।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 342/537/एफ-ओ.एम., दिनांक 21-8-71]

5. आधे दिन का आकस्मिक अवकाश—

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक-692/1098/1 (3)/72, दिनांक 25-10-72 द्वारा दिनांक 1-11-72 से आधे दिवस का आकस्मिक स्वीकृत करने के आदेश दिये गये हैं।

6. रमजान मुबारक में शासकीय मुस्लिम कर्मचारियों को एक घंटा पूर्व कार्यालय छोड़ने की अनुमति—

छत्तीसगढ़ शासन ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के शासकीय, अर्द्धशसकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं में कार्यरत मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान माह में रोजे प्रारंभ होने के दिनांक से रोजे समाप्त होने के दिनांक (रमजान माह की समाप्ति) तक कार्यालय समय समाप्त होने के एक घंटा पूर्व कार्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाये।

यह आदेश प्रतिवर्ष आने वाले रमजान माह के लिए लागू।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 309/2000/सा.प्र.वि., दिनांक 2-12-2000
तथा क्र. एफ. 1-3/2005/1/एक, दिनांक 10-10-2005]

7. परिवार नियोजन-विशेष आकस्मिक अवकाश—

(1) परिवार नियोजन आपरेशन करवाने वाले पुरुष शासकीय सेवकों को छः दिन का विशेष अवकाश मिलने की पात्रता है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 2323/2096/1 (3), दिनांक 13-11-1959]

(2) नॉन प्यूर्परल टी.टी. (जो प्रसूति अवकाश के बाद/प्रसव के तत्काल बाद के दिनों के अलावा अन्य कभी होती है) के लिये महिला कर्मचारी को 14 दिन का विशेष अवकाश देय है। यह आदेश दिनांक 4-10-66 प्रभावशील है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 2037-सी.आर. I (ii) 66, दिनांक 4-10-1966]

(3) दो या अधिक जीवित बच्चे होने पर प्रसूति अवकाश नहीं मिलता, परन्तु ऐसी प्रसूति के बाद आपरेशन कराया जाता है, तो कर्मचारी को 14 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 1073/555/1 (3), दिनांक 8-4-1970]

(4) पत्नी के परिवार नियोजन आपरेशन कराने पर कर्मचारी पति को चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर सात दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्राप्त हो सकेगा।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 1557-सी.आर. 207-3, दिनांक 19-5-1970]

(5) पुरुष कर्मचारी की पत्नी का टी.टी आपेरशन असफल हो जाने पर यदि पत्नी का पुनः आपरेशन किया जाता है, तो उसके पति कर्मचारी को दुबारा सात का विशेष आकस्मिक अवकाश प्राप्त होगा, चाहे ऐसी शल्य-क्रिया प्रायवेट नर्सिंग होम में कराई गयी हो। परन्तु इस बाबत् प्रमाण-पत्र पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक है।

[कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग क्र. सी-3/14/86/3/1, दिनांक 5-4-1988]

(6) यदि पुरुष कर्मचारी की प्रथम शल्य-क्रिया असफल हो जाती है तो उसे दुबारा नसबन्दी कराने पर चिकित्साकीय प्रमाण-पत्र के आधार पर पुनः छः दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देय है। इस छः दिन में रविवार, सार्वजनिक अवकाश एवं स्थानीय अवकाश सम्मिलित है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 820/386/1/ (3), दिनांक 26-11-1975]

(7) महिला कर्मचारी की प्रथम शल्य-क्रिया असफल हो जाने की स्थिति में दुबारा शल्यक्रिया कराने पर पुनः 14 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश पाने की पात्रता है, यह अवकाश चिकित्सक के प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वीकृत होगा। अन्य शर्तें पूर्व के ज्ञापन दिनांक 26-11-75 के अनुसार यथावत् लागू रहेंगी।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 54-52-1-3-76, दिनांक 12-2-1976]

(8) जिस कर्मचारी की नसबन्दी हो चुकी है और वह कर्मचारी यदि अविवाहित है या उसके दो से कम बच्चे है या नसबन्दी कराने के बाद सभी बच्चों की मृत्यु हो चुकी है और यदि वह दुबारा नस जुड़वाना चाहता है तो ऐसे कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर

(i) नसबंदी आपरेशन कराने वाले पुरुषों को ऐसी अवधि तक जो छः दिन से अधिक न हो, मजदूरी,

(ii) गैर प्रसव बंधीकरण कराने वाली महिला कर्मचारियों को ऐसी अवधि तक जो 14 दिन से अधिक न हो मजदूरी,

(iii) लूप पहनने वाली महिला कर्मचारियों को एक दिन की मजदूरी।

[कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग क्र. एफ.सी. 3-8-78/3/49, दिनांक 16-3-89]

13. हरितालिका के उपलक्ष्य में महिला कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश—

यदि कोई महिला कर्मचारी हरितालिका का व्रत रखने के लिए यदि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करती है तो उसे विशेष आकस्मिक अवकाश मंजूर होगा।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एफ. 1-2/2003/1/5, दिनांक 19-8-2003]

14. कर्मचारी खिलाड़ियों को विशेष आकस्मिक अवकाश—

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. 12268/2527/1, दिनांक 17-10-57 के अनुसारअखिल भारतीय ख्याति के खिलाड़ी शासकीय कर्मचारी यदि अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के विदेशों में या भारत में आयोजित क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं तो उन्हें एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। इससे अधिक आवश्यकता होने की स्थिति में कोई अन्य देय नियमित अवकाश इससे तारतम्य में लिया जा सकता है। ऐसी दशा में विशेष प्रकरण मानकर विशेष आकस्मिक अवकाश को नियमित अवकाश के साथ जोड़ने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन इसे सामान्य आकस्मिक अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।

यह विशेष आकस्मिक अवकाश केवल निम्न मामलों में दिया जा सकता है—

(क) राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के खेल-कूद में भाग लेने के लिए; तथा

(ख) जब संबंधित सरकारी सेवक का भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में निम्न संगठनों में से किसी में दल के सदस्य की हैसियत से चयन किया जाये—

(i) अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन;
(ii) भारतीय हॉकी फेडरेशन;
(iii) भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड;
(iv) भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन;
(v) अखिल भारतीय लॉन टेनिस एसोसिएशन;
(vi) अखिल भारतीय बेडमिंटन एसोसिएशन;
(vii) अखिल भारतीय टेबल टेनिस एसोसिएशन;
(viii) अखिल भारतीय महिला हॉकी एसोसिएशन;
(ix) भारतीय राष्ट्रीय रायफल एसोसिएशन, अथवा

(2) उपरोक्त के अलावा प्रतिवर्ष क्रमशः भाद्रपद कृष्णपक्ष 11 से भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी या पंचमी तक उनके पर्युषण पर्व के लिए तथा भाद्रपद शुक्ल पक्ष 5 से भाद्रपद शुक्ल पक्ष 15 तक धार्मिक कृत्य करने के लिए कार्यालय में 12 बजे तक पहुँचने की सुविधा प्रदान की गई है, बशर्ते कि इससे शासकीय कार्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े और कर्मचारी अपना कार्य अद्यतन रखें।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एम-3-5/1990/1/4, दिनांक 17-1-1992]

17. केन्द्रीय निःशक्त कर्मचारियों की भांति राज्य के निःशक्त कर्मचारियों को 10 दिवसीय विशेष अवकाश—

भारत सरकार, कार्मिक तथा पेंशन मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक No. 28016/02/2007-Estt. (A) dated 14 November, 2007 द्वारा केन्द्रीय निःशक्त कर्मचारियों को निःशक्तजनों के उत्थान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय संस्थाओं द्वारा आयोजित, सभाओं, सेमिनार या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित होने हेतु 10 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रत्येक कैलेण्डर में देने के निर्देश जारी किए गए हैं।

2. भारत सरकार के उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य शासन तथा राज्य शासन के अधीन निगम, मण्डलों, आयोग एवं विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को भी निःशक्तजनों के उत्थान हेतु आयोजित सभाओं, सेमिनार या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित होने हेतु 10 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में दिया जाये। यह 10 दिवस का विशेष आकस्मिक अवकाश सामान्य कर्मचारियों के समान देय 13 दिवस के आकस्मिक अवकाशों के अतिरिक्त होगा। इस विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु वहीं अधिकारी प्राधिकृत होगा, जो सामान्य आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के लिये प्राधिकृत है।

3. उक्त विशेष आकस्मिक अवकाश केवल निम्न संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिये प्रदान किया जा सकेगा—

(1) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे—यू.एन.ओ., विश्व बैंक इत्यादि द्वारा आयोजित सेमीनार/कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु।

(2) विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान जो केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्तियों की शिक्षा/पुनर्वास संबंधी कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु।

(3) निःशक्त व्यक्ति (समान, अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 50 से 55 के अन्तर्गत निःशक्त व्यक्तियों के मान्य संस्थाएं।

(4) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार।

(5) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की संस्थाएं एवं एजेन्सियां।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एफ.13-9/2012/1/3, दिनांक 19-12-2012]

-ooo-

अध्याय **40**

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010

(Chhattisgarh Civil Services (Leave) Rules, 2010)

1. नवीन नियम की विशेषताएँ—

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग रायपुर के आदेश क्रमांक 307/10/वित्त/नियम/चार/2010 दिनांक एक अक्टूबर 2010 द्वारा प्रचलित सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 को संशोधन कर नया नियम दिनांक 1 अक्टूबर 2010 से लागू किया गया है। अब सरकारी सेवकों के अवकाश से सम्बंधित प्रकरणों का निराकरण इन्हीं नियमों के अंतर्गत होगा। इस संशोधित नियम के मुख्य बात निम्नानुसार है—

(1) अर्जित अवकाश की नई व्यवस्था—अर्जित अवकाश खाते में अग्रिम जमा उसी प्रकार किया जावेगा जैसी वर्तमान प्रचलित व्यवस्था है। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमाक जी-1/3/96/सी/चार दिनांक 20.6.96 के अनुसार दिनांक 1 जुलाई 2010 को 225 से 240 दिन का अवकाश पहले से जमा होने पर, दिनांक 1.7.2010 को अग्रिम जमा का पृथक से रखा गया हो, तब वह 1.10.2010 की स्थिति में नए अवकाश लेखे में बढ़ाकर 300 दिन कर दिया गया है। इस अवकाश का एक समय में लेने की सीमा 120 दिन से बढ़कर 180 दिन कर दिया गया है।

(2) अर्द्ध वैतनिक अवकाश की नई व्यवस्था—पूर्व अवकाश नियम के अधीन एक वर्ष में 20 दिन अर्द्ध वेतनिक अवकाश जमा किया जाता था। अब नई व्यवस्था में इसे बढ़ाकर अब 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को दस-दस दिन का अग्रिम खाते में जमा किया जावेगा। चूँकि नया वर्ष दिनांक 1.11.2011 से प्रारम्भ होगा अत: इसके पूर्व जिस तिथि को पिछले पूर्ण वर्ष का अवकाश खाते जमा किया जावेगा या जमा किया जा चुका है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। परन्तु, उसके बाद तथा 31.12.2010 के बीच की अवधि की गणना प्रत्येक पूर्ण कलेण्डर माह के लिए डेढ़ माह के लिए करके 1.1.2011 को शेष में शामिल कर दिया जावेगा। इसके पश्चात् नई व्यवस्था के तहत 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को दस-दस दिन का अग्रिम जमा किया जावेगा।

टिप्पणी—अर्द्ध वैतनिक खाते में जमा की गई राशि एवं उसको लेने की कोई अधिकतम सीमा का बंधन नहीं है।

(3) मातृत्व अवकाश की व्यवस्था—नवीन अवकाश नियम में मातृत्व अवकाश (Materinity leave) एवं दत्तक ग्रहण (Adaption) अवकाश को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है। यदि कोई महिला इस नियम के प्रभावशील होने की तिथि को मातृत्व अवकाश पर थी, तब उसे 180 दिन का अवकाश का लाभ मिलेगा।

4. पितृत्व अवकाश—पूर्व नियम के अधीन एक बच्चे तक ही पितृत्व अवकाश सीमित था। नए नियम में इसे बढ़ाकर दो बच्चों तक कर दिया गया है।

अध्याय

41 अर्जित अवकाश का नगदीकरण

(Leave Encashment)

1. सेवानिवृति पर अवकाश नगदीकरण—

(1) पात्रता—अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत होने वाले शासकीय सेवकों को, स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले, शासन द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए जाने वाले तथा असमर्थ पेंशन पर सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को यह देय है।

टिप्पणी—कार्य भारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अवकाश नगदीकरण की पात्रता नहीं है।

(2) अधिकतम सीमा—सेवा निवृत्त होने के दिनांक को अवकाश लेखे में शेष बचे अर्जित अवकाश के बराबर, परन्तु जो 240 दिन से अधिक नहीं हो, के लिए यह देय है।

टिप्पणी—नगदीकरण तथा समर्पण अवकाश की कुल सीमा से उससे अधिक नहीं होगी जो शासकीय सेवक अपनी पूरी सेवा में रहते वर्तमान आदेशों के अधीन अवकाश का समर्पण करता है।

(3) एकमुश्त भुगतान—अवकाश वेतन के बराबर स्वीकार नगद राशि सेवानिवृत्ति पर देय होगी और उसकी अदाएगी एक ही बार भुगतान के रूप में की जावेगी।

(4) अवकाश वेतन- अवकाश वेतन वही होगा जो कर्मचारी को अर्जित अवकाश पर जाने पर मिलता है इसमें नगर क्षतिपूर्ति भत्ता शामिल नहीं होता है। अवकाश भत्ता गणना का सूत्र इस प्रकार है।

$$= \frac{\text{वेतन + महगाई भत्ता}}{30} \times \text{समर्पित अवकाश के दिनों की संख्या}$$

(5) सक्षम आधिकारी—कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी ही अवकाश नगदीकरण के लिए सक्षम अधिकारी है।

[वित्त विभाग क्र. 13/77/नि-1/चार, दिनांक 16-6-1980]

2. मृत्यु पर अर्जित अवकाश का नगदीकरण—

(1) पात्रता—ऐसे शासकीय सेवक जो निम्न श्रेणी में नहीं आते, वे अवकाश नगदीकरण के लिए पात्र है—

(i) आखिल भारतीय सेवा के अधिकारी अथवा सेवक जिन्हें आखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए लाभ अखिल भारतीय सेवा सेवानिवृत्त नियमों के अन्तर्गत यह लाभ देय है।

(ii) कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी।

अध्याय 44

सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955

(General Provident Fund Rules, 1955)

1. सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955—

शासकीय सेवकों द्वारा सामान्य भविष्य निधि में अनिवार्यत: किए जा रहे अंशदान के विनियमन एवं संधारण हेतु सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955 लागू किया गया। परन्तु यह नियम छत्तीसगढ़ सिविल सेवा में दिनांक 1 नवम्बर 2004 के बाद नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

2. सामान्य भविष्य निधि नियम के महत्वपूर्ण प्रावधान—

(1) निधि का गठन तथा अंशदान की पात्रता—(i) इस निधि पर राज्य सरकार का प्रशासकीय नियंत्रण होगा।

(ii) ऐसे कर्मचारी जो ठेके पर रखे गए है या जिन्हें पुन: नियुक्त किया गया है उनको छोड़कर, समस्त शासकीय सेवक जो शासन द्वारा निर्धारित सेवा शर्तो के अधीन कार्यरत है, इस निधि में अंशदान हेतु पात्र है।

(iii) समस्त शासकीय सेवक, जो निधि में अंशदान के पात्र है, अनिवार्यत: उसमें अंशदान करेंगे, परन्तु राज्य सरकार अगर चाहे तब किसी विशेष प्रकरण में अंशदान से छूट दे सकती है।

(2) अंशदान की राशि—निम्न लिखित शर्तो के अधीन, अंशदान की राशि निर्धारित की जायेगी—

(i) राशि पूर्ण रूपए में अधिकतम की जावें।

(ii) यह राशि कितनी भी हो सकती है, जो कि परिलब्धियों के 12% से कम नहीं हो सकेगी तथा परिलब्धियों से अधिक नहीं हो सकती।

3. अंशदान की राशि का निर्धारण—

नियम 11(3) के अधीन, अभिदाता उसके मासिक अंशदान की सूचना निम्नानुसार विधि अनुसार अपने आहरण एवं संवितरण अधिकारी को देगा—

(i) यदि वह पिछले वर्ष की 31 मार्च को कर्त्तव्य पर था तब वह उस माह के वेतन देयक से इस संबंध में, जो राशि जमा कराना चाहता है।

(ii) यदि वह पिछले वर्ष के 31 माह को अवकाश पर था तथा उसने अवकाश के दौरान अंशदान नहीं देने का चयन किया है अथवा उस दिन निलम्बित है, तो कर्त्तव्य पर लौटने के पश्चात् प्रथम देयक से काटी जाने वाली अंशदान की राशि।

(iii) यदि वह पहली बार वर्ष के दौरान सेवा में प्रविष्ट हो रहा है तो अपने वेतन देयक से इस संबंध में काटी जाने वाली राशि।

(iv) उपरोक्तनुसार नियत किए गए अंशदान की दर में वर्ष के दौरान कोई फेर-बदल नहीं होगा चाहे उसके वेतन की दर में बढोत्तरी या कमी, जो कि पिछले वर्ष के 31 माह को देय हो चुकी है अथवा वर्ष के दौरान देय होगी, किन्तु निम्न परिस्थितियों में फेरबदल हो सकता है—

(क) यदि अभिदाता माह के कुछ समय में कार्य पर रहे तथा कुछ समय बिना वेतन अवकाश पर रहे और उसने अवकाश अवधि का अंशदान नहीं देने का चयन किया हो।

(ख) किसी माह के दौरान मृत्यु हो जाने पर अंशदान नहीं काटा जायेगा।

(नियम 11)

4. अंशदान का निलम्बन—

निलम्बन अवधि में अथवा अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त पर होने की तिथि के 4 माह पूर्व से अंशदान बंद हो जायेगा। अभिदाता लिखित में विकल्प देकर उन माहों में, जिसमें अभिदाता पूरे माह अर्धवेतन अवकाश पर रहा है अपना कम से कम आधे माह तक बिना वेतन असाधारण अवकाश पर रहा है तब अंशदान न करने का चयन कर सकता है। (नियम 10(1))

5. अंशदानों की वसूली—

(i) जब वेतन राशि राज्य के किसी कोषालय से निकाली जायेगी तब इन वेतन राशियों का अंशदान एवं अग्रिमों का मूलधन एवं ब्याज इन वेतन राशियों में से घटाया जायेगा।

(ii) जब वेतन राशियाँ अन्य किसी स्रोत से निकाली जाये वहाँ अंशदाता द्वारा अपनी देनदारियाँ लेखा अधिकारी को अग्रेसित की जावेगी अथवा उपयुक्त शीर्ष में शासकीय लेखे में चालान से जमा की जावेगी। (नियम 13)

6. प्रतिनियुक्ति पर शासकीय सदस्यों की सदस्यता—

बाह्य सेवा अथवा प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए शासकीय सेवक नियमों के अधीन उसी प्रकार अभिदाता बने रहेंगे, जैसे कि वे इस सेवा में जाने के पूर्व थी। (नियम 12)

टिप्पणी—वित्त एवं योजना विभाग के ज्ञापन क्रमांक 596/557/वि/नि/चार/2003, दिनांक 29 जुलाई 2003 द्वारा समस्त विभाग/विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि प्रतिनियुक्त पर पदस्थ शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि अंशदान बाह्य नियोजकों से प्राप्त करें तथा कटौती का विवरण महालेखाकार छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत करें।

7. नामांकन—

(क) अभिदाता सामान्य भविष्य निधि के सदस्य बनने के साथ ही प्रपत्र जी.पी.एफ. 3-ए (यदि अभिदाता का परिवार नहीं है) में अपना सामान्य भविष्य निधि नामांकन पत्र चार प्रतियों में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करेगा। अभिदाता अपनी मृत्यु होने की स्थिति में सामान्य भविष्य निधि की संपूर्ण राशि या कोई भाग (Share) प्राप्त करने के लिये एक या एक से अधिक व्यक्ति को नामांकित कर सकता है। अभिदाता किसी भी समय नामांकन पत्र निरस्त कर सकता है एवं

अध्याय 45

सामान्य भविष्य निधि खाता के विषय में महत्वपूर्ण संशोधित निर्देश

(Important Orders on GPF)

1. ई-कोष आइलाइन पोर्टल—

शासकीय सेवकों के सामान्य भविष्य निधि खातों का विवरण ई-कोष ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित है। इसे शासकीय सेवकों द्वारा निम्नानुसार देखा जा सकता है—

(i) Internet-browser के Address Bar में वेबसाईट http:/cg.nic.m/dtapको अंकित कर Enter करें।

(ii) वेबपेज खोलने पर प्रदर्शित सूची के रिपोर्ट लिंक (Reports Link) के अन्तर्गत प्रदर्शित AG Interface को क्लिक करें।

(iii) प्रदर्शित मेनूबार में Employes Code number पासवर्ड कोड नम्बर और जन्म तिथि एक साथ लिखने तथा सुरक्षा कोड में अंकित शब्द को निर्धारित यथास्थान में लिखा जाना है।

(iv) प्रदर्शित मेनूबार पर वर्ष चयन कर Submit करने पर शासकीय सेवक के सामान्य भविष्य निधि खाते के चयनित वर्ष का वित्तीय विवरण प्रदर्शित हो जायेगा।

[वित्त विभाग क्र. 1801/एक2014-04-00935/ब-4/चार, दिनांक 22-02-2014]

2. छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग क्र. 92/एफ 2014-04-00907/वि/नि/चार, दिनांक 24-02-2014—

वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र क्र. 196/137/वि/नि/चार/2004, दिनांक 6 मार्च, 2004, क्र. 278/250/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 19-09-2007, क्र. 91/313/वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 23-04-2008, क्र. 84/157/वित्त/नियम/चार/2009, दिनांक 08-04-2009 एवं क्र. 267/102/वित्त/नियम/चार/2011, दिनांक 17-08-2011 के माध्यम से सामान्य भविष्य निधि प्रकरणों के निराकरण संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छ.ग. रायपुर द्वारा अपने अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 20-01-2014 द्वारा अवगत कराया गया है कि म.प्र. शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 1774/2121/2000/C/4 दिनांक 25-08-2000 एवं संदर्भित परिपत्रों के निर्देशों का अधिकांश आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा उचित रूप से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान के प्रकरण सेवानिवृत्ति के चार माह पूर्व महालेखाकार को प्रेषित करने के निर्देश हैं किन्तु, अधिकांश मामलों में प्रकरण सेवानिवृत्ति के कई माह पश्चात् प्रेषित किये जा रहे हैं जिससे शासन को ब्याज की अनपेक्षित हानि होती है साथ ही अभिदाता को समय पर प्राधिकार पत्र प्राप्त नहीं होता है। अतः छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्देशित किया जाता है कि,

(1) छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम 10(1) ''क'' के अनुसार संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वह सेवानिवृत्ति के चार माह पूर्व सामान्य भविष्य निधि अंशदान की कटौती बंद करें। परन्तु कुछ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा उक्त प्रावधान को ध्यान न देते हुए सेवानिवृत्ति दिनांक तक कटौती किया जाता है, जो सामान्य भविष्य निधि नियम का स्पष्ट उल्लंघन है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सामान्य भविष्य निधि प्रकरण के अंतिम भुगतान में किये जा रहे विलम्ब के फलस्वरूप अभिदाता को अधिक ब्याज के साथ सुरक्षित निवेश बिना आयकर भुगतान प्राप्त होता रहता है।

(2) महालेखाकार द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि कतिपय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अंतिम भुगतान का प्राधिकार पत्र प्राप्त होने के उपरांत तत्परता से भुगतान न किया जाकर अनावश्यक विलम्ब किया जाता है जिसके कारण बहुत से अभिदाता विधिक फोरम के माध्यम से ज्यादा ब्याज की मांग करते हैं। ऐसी स्थिति आपत्तिजनक है।

(3) महालेखाकार द्वारा यह तथ्य भी राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा सामान्य भविष्य निधि पासबुक का समुचित रखरखाव नहीं किया जा रहा है जिसमें मुख्य रूप से खाते से आहरणों की प्रविष्टि तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं किया जाना शामिल है। सामान्य भविष्य निधि पासबुक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा सामान्य भविष्य निधि पासबुक के उचित रखरखाव के बिना अभिदाता के क्रेडिट/डेबिट के विवरण उपलब्ध नहीं हो पाते है जिससे प्रकरण के निराकरण में कठिनाई आती है।

(4) उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि अधिकांश कार्यालय प्रमुखों द्वारा सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान प्रकरणों के निराकरण में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिससे सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों को समय पर राशि का भुगतान नहीं हो पाता है और राज्य शासन को अतिरिक्त ब्याज का भार भी उठाना पड़ता है। सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि सामान्य भविष्य निधि से संबंधित सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। विभागीय अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्यालयीन निरीक्षणों में भी इन निर्देशों के पालन की प्रगति की समीक्षा की जाए तथा प्रकरण में विलंब या त्रुटि हेतु जिम्मेदारी निर्धारित कर संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 92/एफ 2014-04-00907/वि/नि/चार, दिनांक 24-2-2014]

3. छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग क्र. 376/एल 2014-71-00209/वि/नि/चार, दिनांक 19-09-2014—

छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम के नियम 14(4) में यह प्रावधान है कि शासकीय सेवक के सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान के मामले में उनके खाते में शेष राशि के अलावा राशि भुगतान करने वाले माह के पूर्ववर्ती माह तक के ब्याज का भुगतान किया जाता है, अर्थात् महालेखाकार को निर्धारित प्रपत्र में कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रेषित कर्मचारी की अंतिम

अध्याय

46

सेवानिवृत्त लाभ
(Retirement Benefits)

1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976—

यह नियम, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के विभिन्न वर्गो के सेवानिवृत्त लाभों, जैसे पेंशन, उपदान, इत्यादि के विनियमन हेतु उपबन्धों को स्थापित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

परन्तु इन नियमों के उपबन्ध ऐसे शासकीय सेवकों पर लागू नहीं होंगे, जो दिनांक 1 नवम्बर 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में नियुक्त हुए है।

[वित्त एवं योजना विभाग क्र. 977/सी-761/वि/नि/चार, दिनांक 27-10-2004]

2. पेंशन, उपदान या परिवार पेंशन के दावों का नियमन—

(1) शासकीय सेवक की अधिवार्षिकी सेवा निवृत्ति या उसकी मृत्यु के समय स्थापित नियमों के अधीन पेंशन, उपदान या परिवार पेंशन का नियमन किया जाता है।

(2) कार्यालय या विभाग में की गई सेवा पेंशन हेतु अहर्तादायी है अथवा नहीं, इसका निर्धारण इन प्रचलित नियमों के अधीन किया जायेगा जो सेवा से संपादन के समय प्रभावशील है।

(3) जिस दिन पूर्वान्ह से कोई शासकीय सेवक सेवानिवृत्त होता है या किया जाता है अथवा सेवामुक्त या सेवा से त्याग पत्र स्वीकार किया जाता है, जैसा भी प्रकरण हो, उस दिन को कार्य दिवस नहीं माना जायेगा, परन्तु मृत्यु के दिन को कार्य दिवस माना जायेगा। [नियम 5]

3. पेंशन या परिवार पेंशन निरन्तर चालू रहने की शर्त—

(1) पेंशनधारी का सदाचारी होना, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 8 के अधीन एक महत्वपूर्ण शर्त पेंशन या परिवार पेंशन के सदा निरन्तरता के लिए है।

(2) यदि कोई पेंशनधारी को किसी गंभीर अपराध करने का दोषी पाया जाता है अथवा गंभीर कदाचरण करने का आरोपी ठहराया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी (नियुक्तिकर्त्ता) अधिकारी उसकी सम्पूर्ण पेंशन या उसके किसी अंश को हमेंशा के लिए अथवा किसी भी निर्दिष्ट अवधि के लिए रोक सकता है, या वापस ले सकता है। यदि पेंशन के किसी अंश को रोका जाता है तो शेष पेंशन न्यूनतम पेंशन से कम नहीं होगी। परन्तु पेंशन रोके जाने का ऐसा आदेश पारित करने के पूर्व नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी पेंशनधारी को बचाव का अवसर प्रदान करेगा।

(3) नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी अगर राज्यपाल है, तब लोक सेवा आयोग से परामर्श कर आवश्यक आदेश जारी करेंगे। राज्यपाल के आदेश के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार्य नहीं होगी। अगर अन्य किसी अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया है तब राज्यपाल को अपील प्रस्तुत हो सकेगी।

टिप्पणी—(1) गम्भीर अपराध से अभिप्राय कार्यालयीन गोपनीय अधिनियम (Official Secret Act) (क्र. 19 सन् 1923) में परिभाषित गम्भीर अपराध से है।

(2) गम्भीर दुराचरण (Grave Misconduct) शब्द का अभिप्राय, शासन में किसी पद पर रहते हुए, कार्यालयीन गोपनीयता अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल, किसी सूचना के संचार या प्रसंग या शब्द भेद या कोई नक्शा या योजना, नमूना, सामग्री टीप, अभिलेख, जैसाकि अधिनियम के खण्ड 5 में उल्लेखित है, जिससे देश की सुरक्षा या सामान्य जनहित पर हानिकारक रूप से प्रभाव पड़े।

4. पेंशन रोकने या वापिस लेने की सक्षमता—

(1) पेंशन को रोकने या पेंशन या उसके किसी भाग को वापस लेने, चाहे वह स्थाई हो या फिर किसी निर्धारित अवधि के लिए हो अथवा किसी विभागीय या न्यायायिक कार्यवाही में पेंशन भोगी से उसके द्वारा की गई उपेक्षा या गंम्भीर कदाचरण के लिए दोषी पाए जाने पर या शासन को हुई आर्थिक हानि के पूर्ण या उसके किसी अंश का वसूलने के आदेश देने का अधिकार राज्यपाल में सुरक्षित है।

परन्तु अन्तिम आदेश देने के पूर्व लोक सेवा आयोग की सलाह लेना आवश्यक होगा तथा जहाँ पेंशन का कुछ अंश रोका गया है या वापिस किया जाता है इस प्रकार शेष पेंशन न्यूनतम से कम नहीं होगी। [पेंशन नियम 9]

(2) उक्त नियम सेवानिवृत्ति अपरान्त संविदा आधार पर नियुक्त पेंशनधारियों को भी लागू होगी। [वित्त विभाग क्र. 394/सी-158/वि/नि/चार, दिनांक 22-9-2005]

टिप्पणी—(1) सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एक-1-1/2008/1 एक दिनांक द्वारा छत्तीसगढ़ कार्य नियम में संशोधन करते हुए उक्त मामले को मंत्री परिषद में रखे जाने वाले मामले से विलोपित करते हुए पेंशन नियम 1976 के नियम 9 के अधीन पेंशन को रोके, वापस लेने एवं कम करने संबंधी प्रकरण समन्वय के मामले की सूची में शामिल किया गया है।

(2) तदनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि पेंशन नियम 9(1) में अन्तर्गत पेंशन को रोकने एवं वापस लेने तथा नियम 9(2) के अधीन शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुए या पुर्ननियुक्त के दौरान शासकीय कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थापित नहीं करने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के उपरान्त विभागीय जाँच संस्थापित करने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के उपरान्त विभागीय जाँच संस्थापित करने सम्बन्धी प्रकरण पर समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश प्राप्त करना होगा।

[वित्त विभाग क्र. 103/एफ 2017-46-00/95/वित्त/नियम/चार, दिनांक 2-5-2017]

5. सेवानिवृत्ति के उपरान्त व्यवसायिक नियोजन—

(1) यदि कोई पेंशनर जो सेवानिवृत्ति के तत्काल पहले राज्य की प्रथम श्रेणी की सेवा में था, सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व कोई व्यावसायिक नौकरी शासन की स्वीकृति प्राप्त किये बिना स्वीकार नहीं कर सकता है।

8. पेंशन नियमों की भावना के अनुरूप एक आदर्श मॉडल के रूप में मंत्रालय स्तर पर सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति के दिनांक को पी.पी.ओ./जी.पी.ओ. वितरित करने की व्यवस्था अगले माह से प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9. पेंशन प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब होने के मुख्य कारणों में से एक कारण यह भी है कि शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण का अनुमोदन का कार्य कार्यालय प्रमुख स्तर पर सेवानिवृत्ति तिथि तक लंबित रहता है। सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन प्रकरण संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन को प्रेषित किये जाने के पश्चात् वेतन निर्धारण की जांच किये जाने पर अधिक भुगतान की स्थिति निर्मित होने पर शासकीय सेवकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, अतः समस्त शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण की जांच/अनुमोदन का कार्य समय-समय पर वेतनमानों के पुनरीक्षण (आदेशों के जारी होने के एक वर्ष की समयावधि के भीतर) संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के कार्यालय से अनिवार्य रूप से करा लिया जाय।

शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका हमेशा अद्यतन रखी जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी शासकीय सेवक के अधिवार्षिकी आयु के 2 वर्ष पूर्व सभी वेतन निर्धारण की जांच कर ली गई है तथा वेतन निर्धारण के अनुमोदन उपरान्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा दी गई टीप अनुसार वेतन नियमन यथासमय किया जाकर यदि वसूली हो तो, सेवा में रहते हुए वसूली की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय। सेवा अवधि में अधिक भुगतान की वसूली पूर्ण न होने पर उक्त विलम्ब हेतु जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए जिम्मेदार व्यक्ति/व्यक्तियों से वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

राज्य शासन की स्पष्ट मंशा है कि उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

[वित्त विभाग क्र. 250/250/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 21-8-2007]

30. पेंशन पर उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण कुछ निर्णय—

(1) जी.वाई. परांजपे वि. आयुक्त, 2005(1) इ.ए.सी. 108, 112, 113 एवं 105 (बाम्बे)—इस प्रकरण में बाम्बे उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि शासकीय सेवक कभी-कभी सेवानिवृत्त हुआ हो एवं पेंशन का लाभ ले रहा है, अगर पेंशन योजना में भविष्य में कोई परिवर्तन होता है तब ऐसे शासकीय सेवक को इसका लाभ लेने से इस आधार पर अवरुद्ध नहीं किया जा सकता कि वह बहुत पहले सेवानिवृत्त हो चुका है। न्यायालय ने यह माना है कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। अतः पेंशन योजनाओं में जब-जब भी परिवर्तन होगा उसका लाभ पूर्व में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी प्राप्त होगा।

(2) एक्शन कमेटी, दक्षिण-पूर्व रेल्वे पेंशनर्स वि. भारत सरकार 1991 सूपा (2) एस.एस.सी. 544 : (1991) 5 जेटी (एस.सी.) 8—दक्षिण-पूर्व रेल्वे पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों को विशेष महंगाई भत्ता उनके पेंशन राशि के ऊपर दी जा रही थी। उन्होंने उच्चतम न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर, यह माँग की कि उनके महंगाई भत्ते को महँगाई वेतन

अध्याय **50**

समूह बीमा योजना एवं परिवार कल्याण निधि योजना

(Group Insurance Scheme and Family Benefits Fund Scheme)

1. समूह बीमा योजना—

(1) योजना की प्रभावशीलता—राज्य शासन के समस्त कर्मचारियों के लाभार्थ यह योजना, राज्य शासन द्वारा, दिनांक 1.7.85 से लागू की गई। इस योजना से पूर्व, राज्य परिवार कल्याण निधि योजना 1974 लागू थी। राज्य शासन द्वारा लागू की समूह बीमा योजना में यह व्यवस्था दी गई कि जो कर्मचारी, इस नवीन योजना का वरण नहीं किए हैं, वे सेवानिवृत्ति तक या आगे भी इस नई योजना का वरण न करने की स्थिति में, पुरानी योजना के ही सदस्य बने रहेंगे तथा उनके दावे, उस पुरानी योजना के नियमों के अधीन ही निपटाए जावेंगे।

(2) समूह बीमा योजना की सदस्यता—(i) यह योजना, उन सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्यतः लागू होगी, जो इस योजना को अधिसूचित किए जाने के बाद शासकीय सेवा में आए है।

(ii) योजना के सदस्य के रूप में, नामांकित सेवा के प्रत्येक सदस्य को, उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा फार्म 2 में उसके नामांकित दिनांक को और उसके वेतन से अंशदान के रूप में की जाने वाली कटौती को सूचित किया जाएगा। इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जावेगी। इसकी सूचना चार प्रतियों में बनाई जावेगी। एक प्रति शासकीय सेवक को, एक प्रति संचालक जीवन बीमा विभाग को, एक प्रति सम्बंधित विभागाध्यक्ष को तथा एक प्रति सेवा पुस्तिका में चिपकाई जावेगी। [योजना का नियम 4(4)]

(3) लेकिन योजना के वर्ष-दिवस से भिन्न किसी माह में सेवा प्रविष्ट होने वाले कर्मचारियों के वेतन से अभिदान की राशि 30% राशि की कटौती तत्काल प्रारम्भ कर देना चाहिए ताकि समूह बीमा का लाभ कर्मचारी को सुनिश्चित किया जा सके। [योजना का नियम [illegible]]

(4) योजना में अंशदान की दर—(i) जब योजना को दिनांक 1.7.85 से लागू किया गया तब योजना में अंशदान की दर निम्नानुसार थी—

अनु.	कर्मचारी की श्रेणी	अंशदान प्रतिमाह (रुपए में)
1.	प्रथम श्रेणी	80/-
2.	द्वितीय श्रेणी	60/-
3.	तृतीय श्रेणी	50/-
4.	चतुर्थ श्रेणी	30/-

(ii) अंशदान की दर वृद्धि—(एक) दिनांक 1.7.90 से अंशदान और अनुरूपी बीमा रक्षण की दर में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई। इसी बढ़ी हुई दर का चयन करने अथवा नहीं करने के विकल्प को अनिवार्य किया गया। एक बार दिए गए विकल्प को अन्तिम माना गया।

(दो) दिनांक एक जनवरी 1996 से पुनः अंशदान में वृद्धिकर क्रमशः इसे रु. 100/-, रु. 120/-, रु. 100/-, एवं रु. 60/- श्रेणीवार किया गया।

(तीन) दिनांक 1 जुलाई 2003 से पुनः अंशदान की दर में वृद्धिकर क्रमशः रु. 240/-, रु. 180/-, रु. 150/- एवं रु. 90/- श्रेणीवार किया गया।

[वित्त विभाग क्र. 340/322/वि/नि/चार/03, दिनांक 29-4-2003]

(चार) दिनांक 01 जुलाई 2017 (जून 2017 का वेतन जुलाई 2017 में देय) से दरें निम्नानुसार संशोधित की गई है—

समूह	वर्ग	अंशदान प्रतिमाह (रुपए में)		बीमा राशि (रुपये में)	
		1.7.2003 से 30.6.2017 तक	1.7.2017 से	1.7.2003 से 30.6.2017 तक	1.7.2017 से
ए	प्रथम	240/-	480/-	2,40,000/-	4,80,000/-
बी	द्वितीय	180/-	360/-	1,80,000/-	3,60,000/-
सी	तृतीय	150/-	300/-	1,50,000/-	3,00,000/-
डी	चतुर्थ	90/-	180/-	90,000/-	1,80,000/-

टिप्पणी—बढ़ी हुई दरों के विषय में छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 252/एल 2015-71-00406/वित्त/नियम/चार, दिनांक 27.5.2017 द्वारा जारी निर्देश के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है—

(1) पूर्व की भाँति अंशदान का 30% भाग बीमा निधि तथा शेष 70 प्रतिशत भाग बचत निधि में जमा होगा।

(2) दिनांक 1.7.2017 से अंशदान (बीमा निधि एवं बचत निधि) की बढ़ी दरें उन सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगी, जो वर्तमान में समूह बीमा योजना के सदस्य है। कर्मचारियों को इन बढ़ी हुई दरों को स्वीकार करने या न करने का विकल्प नहीं होगा।

(3) छत्तीसगढ़ संवर्ग में पदस्थ अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को यह लाभ प्राप्त नहीं होगा क्योंकि वह समूह बीमा योजना 1985 के सदस्य न होते हुए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना 1980 के सदस्य है।

2. बचत राशि ब्याज—

कर्मचारी के सेवानिवृत्ति या सेवा में नहीं रहने या सेवा के दौरान मृत्यु होने पर योजना के बचत निधि में जमा राशि ब्याज समेत वापस कर दी जाती है। शासन द्वारा ब्याज की दर निम्नानुसार निर्धारित की है—

अध्याय

51 नवीन अंशदायी पेंशन योजना, 2004

(New Contributory Pension Scheme, 2004)

1. नवीन अंशदायी पेंशन योजना, 2004—

पूर्वस्थापित पेंशन योजना में बदलाव करते हुए नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 1 नवम्बर 2004 से लागू की गई है, इसकी मुख्य बातें इस प्रकार है—

(1) यह योजना इस दिनांक के बाद (1.11.2004) सरकारी सेवा में भर्ती हुए सभी श्रेणी के सरकारी कर्मचारी पर लागू होगा।

(2) नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ, यह योजना, आकास्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों एवं कार्यभारित सेवा स्थाई/अस्थाई कर्मचारियों की भी लागू हो। किन्तु, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा नियुक्तियों तथा शिक्षाकर्मियों में लागू नहीं है।

(3) दिनांक 1.11.2004 को या इसके बाद नियुक्त सरकारी अधिकारी/कर्मचारी पर, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 तथा छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955 के उपबंध लागू नहीं होंगे।

(4) इस योजना में कर्मचारी अपने मूल वेतन तथा महँगाई भत्ता के योग का 10% हिस्सा अंशदान के रूप में जमा करेगा तथा शासन भी पेंशन निधि में इतनी ही राशि नियोजक हिस्से के रूप में जमा करेगी।

(5) इस योजना में शामिल होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को एक स्थाई रिटायरमेन्ट खाता क्रमांक आवंटित होगा। यह खाता क्रमांक नेशनल सिक्यूरिटी डिपाजिटरी लि. (NSDL) द्वारा आवंटित किया जावेगा।

(6) प्रत्येक शासकीय सेवक सेवा में प्रविष्ट होते ही प्ररूप 1 में स्वयं से सम्बंधित जानकारी अपने कार्यालय प्रमुख को देंगे।

(7) स्थाई रिटायमेन्ट खाता (Permanent Retirement Account Number) नम्बर आहरण एवं संवितरण अधिकारी के द्वारा लिखित में सम्बंधित कर्मचारी को दिया जावेगा तथा यह उसके सेवा पुस्तिका में अंकित कर दी जावेगी।

(8) यह स्थाई रिटायमेन्ट खाता क्रमांक पूरे सेवाकाल के लिए एक ही होगा, चाहे वह प्रतिनियुक्ति पर बाह्य सेवा में पदस्थ हो जावे अथवा अन्यत्र कहीं स्थानान्तरण पर पदस्थ होने पर भी।

(9) इस योजना के अधीन आने वाले कर्मचारियों का वेतन देयक पृथक से तैयार होगा। इस वेतन देयक के साथ कटौतियाँ तीन प्रतियों में संलग्न करना होगा।

(10) जो कर्मचारी बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे, उसका मासिक अंशदान तथा

नियोक्ता का अंशदान चालान द्वारा कोषालय अथवा बैंक में जमा किया जा सकता है। उसके साथ ही बैंक ड्राफ्ट द्वारा मूल विभाग को भी भेजा जा सकता है।

2. आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही—

(1) शासकीय सेवक की व्यक्तिगत जानकारी प्रपत्र-1 में भरवाने की जिम्मेदारी आहरण एवं वितरण अधिकारी की होगी।

(2) प्रपत्र-3 में जानकारी प्रेषित कर केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेंसी (NSDL) से पंजीकरण करना।

(3) केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेन्सी से स्थाई रिटायरमेन्ट खाता क्रमांक प्राप्त करने हेतु कर्मचारी से प्राप्त प्रपत्र-1 में जानकारी संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन को भेजना।

(4) स्थाई रिटायरमेन्ट खाता क्रमांक की प्रविष्टि वेतन देयक पंजी एवं सेवा पुस्तिका में कराना।

(5) प्ररूप-5 में एक लेजर का संधारण करना। इसमें प्रतिमाह वेतन से किए जाने वाले अंशदान की प्रविष्टि करना।

(6) वार्षिक लेखा पर्ची प्राप्त होने पर कटौतियों का मिलान इस पंजी से करना।

3. नवीन अंशदायी पेंशन योजना की व्यवस्था हेतु राज्य शासन के निर्देश—

नवीन अंशदायी पेंशन योजना के क्रियान्वन हेतु छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2004 से 2009 तक भिन्न-भिन्न निर्देश जारी किया गया है, जिसका मुख्य अंश इस प्रकार है—

(1) पेंशन निधि विनियमन एवं विकास अभिकरण द्वारा एन.पी.एस. ट्रस्ट की स्थापना करते हुए स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन इण्डिया लिमिटेड को कस्टटोडिएन नियुक्त किया गया है। पेंशन फण्ड मैनेजर के रूप में एस.वी.आई. पेंशन फण्ड लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट साल्यूशन लि. तथा एल.आइ.सी. पेंशन फण्ड लिमिटेड को नियुक्त किया गया है।

(2) बैंक ऑफ इण्डिया को ट्रस्टी बैंक नियुक्त किया गया है जिसका मुख्य दायित्व योजना की राशि का सही समय में संग्रहण एवं प्रेषण होगा।

(3) पेंशन फण्ड मैनेजरों द्वारा खाताधारियों की राशि पेंशन निधि विनियमन एवं विकास अधिकरण के निर्देशों का पालन करते हुए शासकीय प्रतिभूतियों एवं इक्विटी में विनियोजित किया जावेगा, जिस पर कस्टोडियन का नियंत्रण होगा।

(4) केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेन्सी को सी.आर.ए. नियुक्त किए जाने से स्थाई रिटायरमेन्ट एकाउन्ट नम्बर (PRAN) इस एजेन्सी द्वारा ही जारी किया जावेगा। चूँकि छत्तीसगढ़ शासन की ओर से संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन तथा केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेन्सी के मध्य अनुबंध निष्पादित हो चुका है अतः आहरण एवं संवितरक अधिकारी द्वारा संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन के मध्य से शासकीयसेवक की जानकारी प्रस्तुत करने के एक माह में पंजीयन पूर्ण लिया

जाना चाहिए।

(5) दिनांक 1.1.2009 से PRAN प्राप्त करने हेतु प्रपत्र-1 में शासकीय सेवक अपनी जानकारी तीन प्रतियों में आहरण एवं संवितरक के माध्यम से संचालक कोष एवं लेखा तथा पेंशन को प्रेषित करेगा। संचालक उसे PRAN हेतु केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेन्सी को प्रेषित करेगा। केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेन्सी, स्थाई रिटायरमेन्ट एकाउन्ट नम्बर का आवंटन कर तत्काल उसकी सूचना नोडल अधिकारी (संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन) को देगा जिसे नोडल अधिकारी द्वारा सम्बंधित आहरण एवं संवितरक अधिकारी को प्रेषित कर दिया जावेगा।

(6) दिसम्बर 2008 तक संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा आवंटित एवं जारी अस्थाई पेंशन लेखा क्रमांक (PPAN) को केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेन्सी को प्रेषित कर इसके आधार पर PRAN जारी करने की कार्यवाही करेगा।

(7) बिना PRAN के बिल कोषालय में स्वीकार नहीं किया जावेगा। जिन शासकीय सेवकों को 31.12.2008 तक आवंटित PPAN नम्बर के स्थान पर PRAN आवंटित किया जाना है, वे अपनी जानकारी प्रपत्र-1 में नोडल अधिकारी के माध्यम से केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेन्सी को भेजेंगे।

(8) दिनांक 1.1.2009 से प्रस्तुत होने वाले देयकों में PRAN अंकित करने के लिए एन.आइ.सी. के सहयोग से संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन पृथक् से एक साफ्टवेयर तैयार करेगा और उसकी सूचना समस्त कोषालय अधिकारियों एवं आहरण तथा संवितरण अधिकारियों को देगा।

(9) अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत जमा राशि को वर्तमान में पेंशन निधि विनियमन एवं विकास अधिकरण द्वारा तय की गई डिफाल्टर स्कीम में निवेश किया जावेगा तथा उस पर प्राप्त व्याप्त/लाभांश सम्बंधित शासकीय सेवक के खाते में जमा किया जावेगा।

(10) जमा राशि के निवेश हेतु भविष्य में तीन विकल्पों की सुविधा दी जावेगी, जिसमें निश्चित आय वर्ग तथा इक्विटी में अलग-अलग निवेश की सुविधा होगी। अंशदाता अपनी इच्छानुसार स्कीम का चयन कर उसमें निवेश की जाने वाली राशि को प्रतिशत में उल्लेख कर सकता है। स्कीम का चयन करने हेतु सभी अंशदाता को यूजर कोड एवं पासवर्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।

(11) सर्वर पर अपलोड करने का कार्य यथावत् पूर्ववत् ही रहेगा। इसका मासिक लेखा 5 तारीख तक अवश्य भेजे जावेंगे। जिन अंशदाओं का अंशदान चालान या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संचालनालय भेजा जाता है वहाँ भी यह सुनिश्चित किया जावे कि चालान एवं ड्राफ्ट 5 तारीख तक संचालनालय में अवश्य मिल जावें।

(12) मासिक लेखा संकलन के बाद नोडल अधिकारी द्वारा शासकीय सेवकों को अंशदान की राशि का आहरण भाग-तीन-लोक लेखा "(ट) जमा और अग्रिम